	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 22, मंगलवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 14, 2025 Asvina 22, Tuesday, Saka 1947- October 14, 2025	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 14, 2025

संख्या एफ 3(1)(1)सामान्य–I/निर्वा/2025/डी–746 :– भारत निर्वाचन आयोग की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.576/एक्जिट/2025/एसडीआर/खण्ड–I दिनांक: 13 अक्टूबर,2025

अधिसूचना

यतः निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट **प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/316/2025 और सं. ईसीआई/पीएन/317/2025 दोनों दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 के जरिए घोषित बिहार विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन एवं 7 राज्यों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक के अनुसार) के उपचुनावों** के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है; और

2. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि "(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :-

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रहेगी;

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रहेगी।

(3) कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, **6 नवम्बर, 2025 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 7:00 बजे तथा 11 नवम्बर, 2025 (मंगलवार) को अपराह्न 6:30 बजे** के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान ऊपर उल्लिखित साधारण एवं उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन **उपर्युक्त साधारण एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।**

आदेश से,

एस.बी. जोशी,
प्रधान सचिव।

अनुलग्नक

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	जम्मू तथा कश्मीर	27-बडगम
2.		77-नगरोटा
3.	राजस्थान	193-अंता

4.	झारखण्ड	45-घाटशिला(अ.ज.जा.)
5.	तेलंगाना	61-जुबली हिल्स
6.	पंजाब	21-तरन तारन
7.	मिजोरम	2-डम्पा(अ.ज.जा.)
8.	उड़ीसा	71-नुवापाडा

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No. 576/EXIT/2025/SDR/Vol.I Dated: 13th October, 2025

NOTIFICATION

Whereas, the schedule for the current **general election to the Legislative Assembly of Bihar and bye-elections to 8 Assembly Constituencies in 7 States (as per annexure)** has been announced by the Election Commission vide **Press Notes No. ECI/PN/316/2025 and No. ECI/PN/317/2025 both dated 6th October, 2025**; and

2. Whereas, Section 126A of the Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act, 1951) specifies that *"(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.*

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely: —

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;

(b) In case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between **7:00 A.M on 6th November, 2025 (Thursday) and 6:30 PM on 11th November, 2025 (Tuesday)** as the period during which conducting and publishing or publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid General and bye elections**,** shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of **any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of the poll in connection with the aforesaid general and bye-elections.**

By order,

S. B. Joshi,
PRINCIPAL SECRETARY.

Annexure

Sl. No.	Name of State	Assembly Constituency No. & Name
1.	Jammu and Kashmir	27-Budgam
2.		77-Nagrota
3.	Rajasthan	193-Anta
4.	Jharkhand	45-Ghatsila (ST)
5.	Telangana	61-Jubilee Hills
6.	Punjab	21-Tarn Taran
7.	Mizoram	2-Dampa (ST)
8.	Odisha	71-Nuapada

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।